

घटक ये हैं—लघु सिंचाई, भू संरक्षण, पशु-पालन वनरोपण तथा चरागाह विकास ।

इस कार्यक्रम की मुख्य मदों के बारे में भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

मुख्य सूचक	भौतिक उपलब्धियां—
1	2
1. भूमि तथा सभी संरक्षण ("000 हैक्टेयर)	68.9
2. सिंचाई संभाव्यता का मूजन ("000 हैक्टेयर)	4.7
3. वनरोपण तथा चरागाह विभाग ("000 हैक्टेयर)	5.1
4. स्थापित की गई दुग्ध सोसाइटियों की संख्या (संख्या)	113
5. स्थापित की गई मेड सोसाइटियों की संख्या (संख्या)	17

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षों के कारण वह गये किसी भी कार्य के बारे में रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

खेलों का स्तर

162. श्री मूल चन्द डागा : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एक विशाल देश होने के बावजूद इनके खेलों के क्षेत्र में पिछड़ा होने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये क्या योजना तैयार की गई है तथा छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान खेलों पर कितना धन खर्च किए जाने की संभावना है तथा सरकार इस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर सकेगी ; और

(ग) क्या सरकार कोई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करेगी और उसे मभा पटल पर रखेगी ; और यदि हां, तो कब तक ?

पूर्ति: मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बृटा सिंह) : (क) खेलों के क्षेत्र में भारत के पिछड़े होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) खेलों में भाग लेने के लिये देश में अपर्याप्त सुविधाएं ;

(ii) जंगलित खेल में भारी संख्या में हमारे युवाओं का भाग न लेना ;

(iii) सामान्य व्याप्त गरीबी के कारण युवा वर्ग को उपलब्ध घटिया दर्जे का पोषण आहार ;

(iv) खेलों के प्रोत्साहन के लिये उपलब्ध समिति निधियां ;

(v) स्वायत्तशासी खेल संगठनों में आंतरिक विवाद ;

(vi) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अद्यतन वैज्ञानिक सहायता की कमी ; और

(vii) औसत खिलाड़ियों के लिये अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं ।

(ख) इन कमियों को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार ने कई योजनायें तैयार की हैं जो इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, पर खर्चीले किस्म के खेल उपस्करों को खरीद, स्टेडियमों तथा तरण ताल इत्यादि के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता ।

(ii) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से खेलों में प्रतिभाशास्त्री खिलाड़ियों का पता लगाने के लिये राज्यों को सहायता ।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से कालजों और विश्वविद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, व्यायामशालाओं के निर्माण और प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता शिविर आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता देना ।

(iv) राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करना और निचले स्तर पर ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देना ।

(v) वार्षिक रूप से राष्ट्रीय महिला खेल समारोहों तथा उसके बाद निचले स्तर पर ऐसे ही समारोहों का आयोजन करना ।

(vi) लोगों में शारीरिक स्वस्थता और स्वास्थ्य संबंधी चेतना को प्रोत्साहित करने, के लिये राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम आयोजन करना ।

(vii) योग में अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण (चिकित्सीय पहलुओं के अलावा) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता ।

(viii) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय खेल फंडेशनो/संघों को अनुदान, विदेशों का दौरा करने वाली टीमों के लिये किराया देना, भारत आने वाली विदेशी टीमों के लिये वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, सहायक सचिवों के वेतन, खेल उपस्करों की खरीद इत्यादि के लिये वित्तीय सहायता ।

(ix) उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष के उनके दर्शन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिये जाते हैं । प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दो वर्ष की अवधि के लिये 200 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(x) उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में ऊंची योग्यता वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में दो राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किये हैं ।

(xi) केन्द्र सरकार ने खेलों और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिये सलाहकार निकायों का भी गठन किया है । यद्यपि अखिल भारतीय खेल परिषद् खेलों को प्रोत्साहित करने से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है जबकि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों

की सोसायटी (स्नाइप्स) भी शारीरिक शिक्षा और योग की प्रोत्सति से संबंधित मामलों में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन योजनाओं पर 1200 लाख रुपये का राशि खर्च किये जाने की संभावना है। इसके अलावा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर योजनेत्तर वार्षिक खर्च 175 लाख रुपये तक है। यह भी उल्लेखनीय है कि एशियाई खेलों पर खर्च जिसकी मेजवानी भारत ने करने का निर्णय लिया है, इन आवंटनों के अलावा है। परिणामस्वरूप इन योजनाओं और नौवें एशियाई खेलों के लिये निर्मित विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए भविष्य में खेलों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति होने की संभावना है।

(ग) अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है जिसे राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Fall in Marine Catches

163. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there has been a fall in the total marine catch in the country and if so, the reasons thereof (*India Today* dated 31-7-1982);

(b) whether it is a fact that the fishing activities of the 13 large industrial houses who had imported or chartered trawlers, have already closed down operations;

(c) whether the figures of catch as put up by the Ministry of Agriculture and Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) are different for the same period; and

(d) if so, the details and reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a), (c) and (d). The figures of marine fish catch as computed from the data received from State Governments show an increase in fish production. The fish production for the past three years is given below:

(In lakhs tonnes)

Year	Marine Fish production	
	State Govt. estimates	CMFRI estimates
1978	14.90	14.04
1979	14.92	13.88
1980 (Provisional)	15.48	12.50

Variations have been noted in the estimates furnished by the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) and State Governments. These are due to adoption of different methods used in the collection of data by them. Efforts are, however, being made to reconcile the estimates by adopting an integrated survey method for collection of data by both the Central Marine Fisheries Research Institute and the State Governments.

(b) Of the 13 companies, seven companies did not import or charter any trawlers. Out of the remaining six houses one has transferred vessels to another company. Other five companies have not approached the Government for transfer or closure.